

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पत्रांक-02/टैक्स माफी (आदेश)-19/2014 परि0

बिहार मोटरवाहन करारोपण नियमावली, 1994 के नियम-18 के आलोक में अपील किये जाने पर सुनवाई करने एवं बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 के धारा-19 के तहत कर माफी वाद की सुनवाई राज्य परिवहन आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा करके निंस्तार किये जाने का प्रावधान है।

अतः बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 1994 के धारा-19 के तहत संयुक्त परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को कर माफी वाद से संबंधित मामले में अपील सुनने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/टैक्स माफी (आदेश)-19/2014 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गजट की 40 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराया जाए।

ह0/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/टैक्स माफी (आदेश)-19/2014 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त/विशेष सचिव/मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-02/टैक्स माफी (आदेश)-19/2014 परि0

5084 पटना, दिनांक-

22/8/16

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

E-Mail